न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला– सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री परमजीत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या–03/2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर–2022/62

उनवान

1. श्रीमती भुरी बाई पति भीमा जी सालवी उम्र बालिग निवासी बान्दरवाडा देवली तहसील सलुम्बर जिला सलूम्बर।
2. श्री हीरालाल पिता खुमा जी सालवी उम्र बालिग निवासी थडा हाल बान्दरवाडा देवली तहसील सलुम्बर जिला सलूम्बर।
3. श्री किशोर पिता हीरालाल जी सालवी उम्र बालिग निवासी बान्दरवाडा देवली तहसील सलुम्बर जिला सलूम्बर।

–वादीगण

बनाम

1. श्री तख्तसिह पिता पर्वतसिंह राजपुत उम्र बालिग
2. श्री गमेरसिंह पिता पर्वतसिह राजपुत उम्र बालिग
3. श्री उदयसिह पिता पर्वतसिह राजपुत उम्र बालिग
4. श्री फतेहसिंह पिता पर्वतसिह राजपुत उम्र बालिग
5. श्री भवरसिह पिता पर्वतसिह राजपुत उम्र बालिग
6. श्री केशरसिंह पिता पर्वतसिह राजपुत उम्र बालिग
   सभी निवासी बान्दरवाडा देवली तहसील सलुम्बर जिला सलूम्बर।
7. श्रीमान् जिला कलेक्टर हाल जिला सलूम्बर
8. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार त. सलुम्बर

–प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

वाद बाबत् घोषणा खातेदारी हक व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–::निर्णयः:–

दिनांकः– 11/06/25

उपस्थितः– श्री राजकुमार जैन अधिवक्ता – वादीगण
श्री गणेशलाल मेहता अधिवक्ता – प्रतिवादी सं. 1 से 6

वादीगण के वाद के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि वादीगण की कृषि भुमि मोजा बान्दरबाडा तहसील सलुम्बर में स्थित है जिसके पुर्व खातेदार श्री लाला भीमा पिता पुजा बलाई निवासी बान्दरवाडा के नाम पर खातेदारी अधिकार सवत 2029–2032 तक प्राप्त थे जिस आधार पर उक्त कृषि भुमि पर काश्त भी उक्त पुर्वज की ही थी। लाला पिता पुंजा बलाई निवासी बान्दवाडा का देहावसान हो गया जिस कारण उक्त कृषि भूमि का एक मात्र वारीसान भीमा पिता पुंजा बलाई बना जो कि उक्त पुर्ण भुमि का स्वामी रहा जो कि खसरा नम्बर 1/1 छ रहा जिसके कुलीया रकबा 9 बीघा था। बन्दोबस्त के समय उक्त खसरा नम्बर के नये नम्बर 355, 356, 357, 359, 360, 361, 362, 363 बने जिसका रकबा कमश 0.33, 0.02, 0.28, 0.20, 0.35, 1.11, 0.07, 0.02 बना जो कि कुलीया रकबा 2.38 हैक्टयर बना जिसमे 0.33 हैक्टयर जो कि

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

वादी के खाते रहा तथा अन्य भुमि को बिलानाम कर दी गई जिसके आराजी नम्बर 356, 357, 359, 360, 361, 362, 363 थे।

वादीगण अनुसुचीत जाति से आते है जिनकी जमीन को उनकी जाति के अलावा किसी को भी आवटन नहीं किया जा सकता है परन्तु राजस्व अधिकारी के द्वारा उक्त भुमि को अन्य व्यक्ति को आवटन करने का कानुन में कोई प्रावधान नहीं है क्योकि उक्त प्रावधान के तहत धारा 42 व 175 काश्तकारी अधिनियम लागु होते है जिस कारण उक्त हस्तान्तरण अप्रभावी है। उक्त वादीगण की जमीन जो कि दिनांक 04.06.1992 की आधार वर्ष दिनांक 04.06.1992 के तहत उक्त कृषि भुमि को बिलानाम किया गया था जिस कारण उक्त जमीन का आवंटन निरस्तनीय है क्योंकि उक्त अधिनियम एस सी एस टी वर्ग की जमीन का आंवटन नहीं हो सकता है। जिस कारण उक्त अधिनियम के प्रभावी होने से उक्त आवटन ही प्रथमदृष्टया ही निरस्तनीय है। उपरोक्त वाद वर्णित भूमि वादी संख्या 1 के पति के द्वारा समर्पण नहीं किया गया तथा न ही किसी प्रकार से कोई समर्पण का पंजीयन दस्तावेज किया गया। जो किं उक्त भूमि पर आज भी वादीगण ही काबिज है तथा प्रतिवादीगण किसी प्रकार से मोके पर काबिज नहीं है।

राजस्थान राज्य में राजस्थान अभिवृति अधिनियम 1955 के 14 मार्च को लागु हुआ जिसमें धारा 42 आर टी एक्ट के तहत् अनुसूचित जनजाति की भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण जिसमें विक्रय, दान या वसियत के द्वारा हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता क्योंकि उक्त भूमि पर जो खातेदार अधिकार उक्त अनुसूचित जनजाति को देने पर प्राप्त होते हे जो अन्य जाति उक्त जमीन को अपने अधिकार में नहीं कर ले जिस कारण उक्त भूमि पर हस्तान्तरण के रूप में प्रतिबन्ध लगाया गया । उक्त प्रकरण में वादीगण के पति की भूमि को जिसका कोई पंजीयन नहीं कराया गया तथा मात्र झुठे पत्र को बताकर के तहत् तहत् उक्त भूमि को समर्पण बताकर बिलानाम सरकार करके इन्तकाल पारित किया गया। जो कि अवैध है। उक्त भूमि जो कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की थी जिसका आवंटन पुनः किसी भी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के अलावा नहीं हो सकता था परन्तु उक्त भूमि का आवंटन पर्वतसिह के नाम पर आवंटन किया गया जो कि वैध नहीं है। क्योंकि अनुसूचित जनजाति के वर्ग के व्यक्ति की जमीन का आवंटन कभी भी उसके वर्ग के अलावा नहीं हो सकती है जो आर टी एक्ट के तहत् प्रतिबन्ध कर रखा है। जिस कारण उपरोक्त जो आवंटन किया गया जो विधि विरुद्ध है।

उक्त प्रकरण में वादीगण के द्वारा उपरोक्त भूमि अवैध तोर पर प्रतिवादी गण के खाते हो जाने के कारण उपरोक्त भूमि जो कि आराजी नम्बर 356, 357, 359, 360, 361, 362, 363 है। जो कि वर्तमान आराजी नम्बर है। जिनको प्रतिवादीगण के खाते से कम किया जा के वादीगण के खाते करने का घोषणा खातेदारी हक का वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। उपरोक्त प्रकरण में प्रतिवादी गण सवर्ण जाति के व्यक्ति है जिनके नाम पर एस.टी./एस.सी. वर्ग के व्यक्ति की भूमि नहीं आ सकती है। जिस कारण उपरोक्त भूमि प्रतिवादी गण के खाते नहीं हो सकती जिस कारण उपरोक्त भूमि धारा 42 व आर टी एक्ट 175 के उल्लगंन होने के कारण उपरोक्त भूमि पुनः वादीगण के खाते की जावे न्याय हित में है जो कि वादीगण के पिता की मृत्यु होने के कारण अपने नाम से घोाणा कराने के अधिकारी है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादीगण के पक्ष मे व प्रतिवादीगण के विरुद्ध निम्न आशय की सादर डिकी फरमाइ जावे की

1. कि प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावे कि बाद वर्णित आराजियात मे प्रतिवादी वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नही करे तथा नहीं कब्जा करने का प्रयास करे तथा नही उक्त कार्य अधीनस्थ व्यक्ति या नौकर मजदुर से करावे ।
2. कि उक्त वादगसत जमीन मे किसी प्रकार से प्रतिवादीगण के द्वारा कब्जा कर लिया उसे प्रतिवादी से हटवाया जावे तथा नही हटाने पर प्रतिवादीगण के खर्च से हटवाया जावे।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

3. कि वादग्रस्त जमीन को प्रतिवादी गण के खाते से कम कि जांकर आराजी नम्बर 356, 357, 359, 360, 361, 362, 363 को वादीगण एक मात्र खातेदार घोषित फरमाया जावे व तद्नुसार राजस्व रेकोर्ड में अमल दरामद फरमावे ।

वादीगण का वाद बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को वादपत्र की प्रति के साथ जरिये सम्मन सूचित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 6 की ओर से अधिवक्ता श्री गणेशलाल मेहता हाजिर आये जिन्होने प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनाम एवं जवाब पेश कर अंकित किया कि–वादीगण का वादपत्र अस्वीकार है क्योकि उपरोक्त वाद वर्णित खसरा संख्या 356, 357, 358, 360, 361, 362, 363 का आंवटन उततरदाता के पिता को हुआ था जिस कारण उक्त कालम गलत अंकन की है। वादीगण ने अपने वादपत्र मे बताये तथ्य किसी प्रकार से विधि आवंटन की गई जमीन पर लागु नही होता है तथा वादीगण के द्वारा जो आवंटन किया गया जिसको निरस्त कराने की कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की है। वादीया के पति द्वारा किया गया उक्त समर्पण विधियुक्त था जिसके बाबत रकम भी समपर्णकर्ता व उसकी पत्नी व हीरालाल के द्वारा प्रापत की गई थी जो कि दस्तोवज को साक्ष्य मे प्रस्तुत किया जावेगा । समर्पण मे पंजीयन की आवश्यकता नहीं है जिस तथ्य को साक्ष्य से वादीगण स्वय साबित करावे इस प्रकार विधि आवंटन की गई जमीन पर लागु नही होता है। मौके पर प्रतिवादीगण खातेदार व काश्तकार हे जिस कारण तथ्य का गलत तोर पर अंकन है। जिस कारण प्रतिवादीगण के खाते से जमीन कम नही हो सकती है। मौके पर प्रतिवादीगण खातेदार व काश्तकार है तो अतिक्रमण करने की बात ही निराधार है।

प्रतिवादीगण ने विशेष कथन करते हुए अंकित किया कि–प्रतिवादी को उक्त जमीन आवटंन होने के उपरान्त से उक्त जमीन पर काबित है जिस कारण उक्त जमीन पर किसी भी प्रकार से कोई वाद वादी का नही चल सकता है। वाद मे किशोर कुमार व हीरालाल अनावश्यक पक्षकार है जिस कारण वाद कुसंयोजन से ग्रसित है। उक्त जमीन पर जो अतिक्रमण वादी के द्वारा किया गया उसको हटाने हेतु प्रतिवादीगण से वादी के द्वारा रकम को प्राप्त की थी जिस कारण उक्त वाद चल नही सकता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त वाद सव्यय खारीज फरमाया जावे ।

वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जवाब दावे के आधार पर प्रकरण मे न्यायालय द्वारा निम्न तनकीयात कायम की गई–

1. आया वादीगण के पूर्व खातेदार लाला भीमा पिता पूंजा बलाई को सवत 2029–32 तक खातेदारी अधिकार प्राप्त थे ?

–बजिम्मे वादीगण

2. आया वादीगण की काश्त की जमीन बन्दोबस्त वर्ष के समय बिलानाम कर दी गई?

–बजिम्मे वादीगण

3. आया वादीगण अनुसूचित जाति संवर्ग मे आते है जिस कारण उनकी कृषि भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 व 175 प्रभावी होने के कारण अनुसूचित जाति की जमीन उक्त वर्ग के अलावा अन्य वर्ग को किसी भी रूप में आवटंन नहीं हो सकती तथा हस्तान्तरण नहीं हो सकती है?

–बजिम्मे वादीगण

4. आया वाद पक्षकार कुः संयोजन से ग्रसीत है जिस कारण वाद खारिज होने योग्य है?

–बजिम्मे प्रतिवादीगण

अतिरिक्त कलक्टर सलू.
जिला सलूम्बर

5. आया वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत वादीगण के द्वारा रकम को प्राप्त की जिस कारण वाद चलने योग्य नहीं है

–बजिम्मे प्रतिवादीगण

6. अनुतोष/दादरसी ?

वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन मे गवाह पी.डब्ल्यू. 1 श्री हीरालाल पिता खुमा सालवी के बायान दर्ज कराये एवं दस्तावेजी साक्ष्य मे निम्न दस्तावेजात पेश किये–

प्रदर्श 1 –मिलान क्षैत्रफल

प्रदर्श 2 – जमाबंदी संवत् 2018

प्रदर्श 3 – जमाबंदी संवत् 2034–2037 की नकल

प्रदर्श 4 – जमाबंदी संवत् 2026 से 2029

प्रदर्श 5 – जमाबंदी संवत् 2037 से 2040

प्रदर्श 6 – जमाबंदी संवत् 2047

प्रदर्श 7 – जमाबंदी संवत् 2047

प्रदर्श 8 – नामान्तरकरण नम्बर 21 की नकल

प्रदर्श 9 – जमाबंदी संवत् 2075 से 2078

प्रदर्श 10 – जमाबंदी संवत् 2075 से 2078

प्रतिवादीगण अपने जवाब के समर्थन मे गवाह डी.ड्ब्ल्यू. 1 श्री तख्तसिंह के बायन दर्ज कराये एवं दस्तावेजी साक्ष्य मे निम्न दस्तावेज पेश किये–

प्रदर्श 1 लिखापढी पॉच रू स्टाप पर

प्रदर्श 2– लिखापढी 3 रू स्टॉप पर

प्रदर्श 3 भूरी बेवा श्री भीमा बलाई का शपथ पत्र

प्रदर्श 4 लालुराम पिता खुमाजी बलाई की लिखतम

प्रदर्श 5 तहसीलदार द्वारा जारी पत्र दिनांक 07–06–89

प्रदर्श 6 तहसीलदार द्वारा जारी पत्र दिनांक 07–06–89

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वादीगण की बहस अपने वादपत्र अनुसार रही तथा प्रतिवादीगण ने बहस मे अपने जवाब मे वर्णित तथ्यो का दोहराया। बहस मनन की गई तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, साक्ष्य एवं गवाह के बयानात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली का तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है–

तनकी नम्बर 1– आया वादीगण के पूर्व खातेदार लाला भीमा पिता पूजा बलाई को संवत 2029–32 तक खातेदारी अधिकार प्राप्त थे ?

यह तनकी साबित करने का भार वादीगण पर है वादीगण ने अपने समर्थन प्रस्तुत प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत् 2018, प्रदर्श 3 जमाबंदी संवत् 2034–2037, प्रदर्श 4 जमाबंदी संवत् 2026 से 2029 आराजी नम्बर 1/1छ रकबा 9 बिघा लाला भीमा पिता पुंजा बलाई के नाम दर्ज अंकित

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

है। जिससे जाहिर होता है कि संवत् 2018 से राजस्व रेकॉर्ड मे लाला भीमा पिता पुंजा बलाई बतौर खातेदार दर्ज अंकित था। अतः यह तनकी वादीगण साबित करने मे सफल रहे है।

तनकी नम्बर 2– आया वादीगण की काश्त की जमीन बन्दोबस्त वर्ष के समय बिलानाम कर दी गई?

यह तनकी साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण ने अपने वादपत्र के अभिवचनो मे कथन किया है कि वादीगण के साबिक आराजी नम्बर 1/1छ रकबा 9 बिघा भूमि बन्दोबस्त वर्ष के समय बिलानाम कर दी गई, वादीगण की उपरोक्त भूमि वादीगण के पति के द्वारा समर्पण नहीं किया तथा न ही किसी प्रकार से कोई समर्पण का पंजीयन दस्तावेज किया गया है। साबिक आराजी नम्बर 1/1छ रकबा 9 बिघा के सेटलमेन्ट के बाद प्रदर्श 1 मिलान क्षैत्रफल अनुसार नये आराजी नम्बर नम्बर 355/0.33, 356/0.02, 357/0.28, 359/0.20, 360/0.35, 361/1.11, 362/0.07, 363/0.02 कुल किता 08 कुल रकबा 2.38 हैक्टेयर बना। प्रदर्श 5 जामबंदी संवत् 2037 से 2040 की विशिष्ठीयों मे लाला बलाई लाओलाद फौत हाने से भीमा पिता पुंजा के नाम पर पूर्ण खाता विरासत से कायम रहने का अंकिन है तथा उक्त जमाबंदी की अन्य विशिष्ठीयों में से.मे.ना.क.सं. 13 से आराजी नम्बर 1/1छ रकबा 9 बिघा की भूमि बिलानाम सरकार होने से अमल मे लाया गया का अंकन है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 5 तहसील कार्यालय सलूम्बर के पत्रांक 69 दिनांक 07–06–89 मे अंक़ित है कि श्री भीमा पिता पूंजा बलाई निवासी बादरवाडा ने अपने खाते की भूमि मौजा बादरवाडा के आराजी नम्बर 1/1छ रकबा 9 बिघा भूमि का समर्पण पत्र पेश किया जो स्वीकार किया जाता है एवं मौजा बादरवाडा की आराजी नम्बर 1/1छ रकबा 9 बिघा भूमि राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है एंव खातेदार के नाम लगान कमी की जावे के साथ प्रतिलिपि सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी उदयपुर दी गई है। मिसल बन्दोबस्त प्रदर्श 7 जमाबंदी संवत् 2047 मे आराजी नम्बर 356/0.02, 357/0.28, 359/0.20, 360/0.35, 361/1.11, 362/0.07, 363/0.02 कुल किता 7 रकबा 2.05 हैक्टेयर भूमि बिलानमा दर्ज अंकित है। प्रदर्श 10 जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 100 आराजी नम्बर 355 रकबा 0.33 हैक्टेयर भूमि वादीया भूरी पत्नी भीमा जाति बलाई के नाम दर्ज अंकित है। अतः पत्रावली पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रदर्शित दस्तावेजता के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि समर्पण होने से बिलानाम दर्ज हुई है। जिसकी पुष्टि वादीगण द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज प्रदर्श 5 एवं प्रतिवादी वादी के प्रदर्श 5 व 6 से होती है। प्रदर्श 3 भूरी बेवा भीमा बलाई का शप्रथ पत्र है जो प्रतिवादी ने पेश किया है जिसका किसी प्रकार से विरोध वादीगण ने नही किया है जिसकी कलम संख्या 5 में यह अंकित किया है कि मेरे पति श्री भीमाजी ने अपने जीवनकाल मे ग्राम बांदरवाडा तहसील सलूम्बर में उनके खाते की कृषि भूमि 1/1छ रकबा 9 बिघा सन् 1989 मे तहसील सलूम्बर में आकर राजस्थान सरकार को समर्पण कर दी थी। इसलिये पत्रावली मे उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार वादीगण यह साबित नही कर पाये है कि वादीगण के खाते की भूमि बन्दोबस्त के समय बिलानाम कर दी हो, बल्की यह तथ्य जाहिर होता है कि भूमि समर्पण होने से बिलानाम हुई है। अतः यह तनकी वादीगण साबित करने मे पूर्ण रूप से असफल रहे है।

तनकी नम्बर 3– आया वादीगण अनुसूचित जाति संवर्ग मे आते है जिस कारण उनकी कृषि भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 व 175 प्रभावी होने के कारण अनुसूचित जाति की जमीन उक्त वर्ग के अलावा अन्य वर्ग को किसी भी रूप में आवटंन नहीं हो सकती तथा हस्तान्तरण नहीं हो सकती है?

यह तनकी कानुनी बिन्दु है। जिसके संबंधित स्पष्ट प्रावधान कानुन मे दे दखे है। **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 175** किसी काश्तकार को उसकी जमीन के अवैध हस्तांतरण या उप–पट्टे पर देने के कारण बेदखल करने से संबंधित है। इसमें प्रावधान है

क कलक्टर सलूम्बर

कि यदि कोई काश्तकार अधिनियम के प्रावधानों का पालन किए बिना अपनी जमीन हस्तांतरित या उप–पट्टे पर देता है, तो काश्तकार और हस्तांतरिती/उप–पट्टेदार दोनों को बेदखल किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को कृषि भूमि हस्तांतरित करने पर रोक लगाती है जो उसी समुदाय का सदस्य नहीं है। यह प्रावधान हाशिए पर पड़े समुदायों के हितों की रक्षा करने और भूमि लेनदेन को रोकने के लिए बनाया गया है। उक्त धारा 42 के अन्तर्गत प्रावधान है कि "किसी खातेदार अभिधारी द्वारा अपनी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग में के अपने हित विक्रय, दान या वसीयत शून्य होगी, यदि–ऐसा विक्रय, दान या वसीयत, अनुसूचित जाति के किसी सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य न हो।"

विचाराधिन प्रकरण मे वादग्रस्त भूमि का विक्रय या दान या वसीयत नही हुआ है जिसका पूर्ण विवेचन तनकी नम्बर 2 मे किया गया है। अतः **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 व 175** के प्रावधान उक्त विचाराधिन प्रकरण मे लागू नही होते है।

तनकी नम्बर 4 – आया वाद पक्षकार कुः संयोजन से ग्रसीत है जिस कारण वाद खारिज होने योग्य है?

यह तनकी साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादी ने अपने जवाब के विशेष कथन मे अंकित किया है कि वादी संख्या 1 व 2 अनावश्यक पक्षकार है जिन्हे उक्त वाद मे वादीगण बनाया गया है। वादीगण के सम्पूर्ण वादपत्र को पढन के बाद यह स्पष्ट नही होता है कि वादी संख्या 2 व 3 किसी प्रकार से उक्त वाद मे आवश्यक पक्षकार होने से वादीगण के रूप मे संयोजन किया गया है। वादी संख्या 2 स्वयं बतौर गवाह पी.डब्ल्यू.1 न्यायालय मे हाजिर आया। जीरह मे गवाह पी.डब्ल्यू. 1 हीरालाल ने यह स्वीकार किया है कि "मै भूरिबाई का जाइन्दा वारिस नही हूँ। यह कहना सही है कि मेरे नाम पर रजिस्टर्ड गोदनामा नही है अजखुद कहा कि होता तो मै पेश करता तथा अजखुद कहा मुझे गोद रखा था"। वादीगण ने अपने समर्थन मे कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नही किया जिससे वादी संख्या 2 भूरि बाई का गोदपुत्र होना साबित होता हो तथा वादीगण का सम्पूर्ण वाद पढने के बाद एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के बाद वादी संख्या 2 व 3 को उक्त वाद के वादीगण के रूप मे संयोजन किये जाने का कोई उचित कारण नही पाता है। न ही वादीगण अपने वाद मे वादग्रस्त भूमि से वादी संख्या 2 व 3 का कोई स्पष्ट संबंध होना बताया है न ही साबित कर पाये है। न ही वादीगण ने अपने समर्थन मे वादीया भूरी बाई को बतौर गवाह न्यायालय मे हाजिर कराया है।

तनकी नम्बर 5–आया वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत वादीगण के द्वारा रकम को प्राप्त की जिस कारण वाद चलने योग्य नहीं है?

यह तनकी साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादी गवाह पी.डब्ल्यू. 1 ने अपने शपथ पत्र मे अंकित किया है उक्त भूमि पर भूरी बलाई का कोई कब्जा नही है तथा जो पूर्व मे कब्जा था उसको हटाने हेतु पूर्व मे कई मर्तबा रकम को प्राप्त कर ली थी जिस कारण उक्त वाद गलत तोर पर प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी ने अपने समर्थन मे प्रस्तुत प्रदर्श 1 से लगाकर प्रदर्श 6 तक पेश किये। प्रतिवादी गवाह पी.डब्ल्यू. 1 के जिरह मे भी यह बात स्वीकार कि है कि प्रदर्श 1 व प्रदर्श 4 मे किसी प्रकार से भूमि का वर्णन नही है। प्रदर्श 2 दो हजार रूपये मे खेत को गिर्वी रखने का दस्तावेज है तथा प्रदर्श 3 मे A से B भाग मे यह अंकन किया हुआ है कि "मेरी मृत्यु के बाद मेरी कुल स्थावर व जंगम जायदाद के मालिक व काबिज

सहायक कलक्टर
जिला सलूम्बर

श्री परबतसिंह जी रहेगे'' परन्तु वर्तमान समय मे भूरी बाई जीवित है व पर्वतसिंह की मृत्यु हो चुकि है। पर्वतसिंह की मृत्यु हुए लगभग 10 वर्ष हो चुके है। यद्यपि प्रदर्श 3 भूरी बेवा भीमा बलाई का शपथ पत्र है जो प्रतिवादी ने पेश किया है जिसका किसी प्रकार से विरोध वादीगण ने नही किया है। प्रतिवादी अपने समर्थन मे प्रस्तुत दस्तावेजो से यह बात साबित नही कर पाये है कि वादग्रस्त भूमि बाबत् वादीगण के द्वारा कोई रकम प्राप्त की हो। न ही प्रतिवादी वादी गवाह से यह कहलवा पाये है कि उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि बाबत् कोई रकम प्रतिवादी से प्राप्त की हो। अतः यह तनकी साबित करने मे प्रतिवादीगण पूर्ण रूप से विफल रहे है।

तनकी नम्बर 6– अनुतोष/दादरसी ?

उपभयपक्ष की बहस मनन की गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण ने यह वाद आराजी नम्बर 356, 357, 359, 360, 361, 362, 363 एकमात्र खातेदार काश्तकार घोषित कराने एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है। तनकी नम्बर 1 से साबित होता है कि वादग्रस्त साबिक आराजी नम्बर 1/1छ रकबा 9 बिघा भूमि पूर्व मे लाला भीमा पिता पुंजा बलाई के नाम राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज थी। उक्त खाते की भूमि बन्दोबस्त के समय समर्पण से बिलानाम दर्ज हुई जिसका पूर्ण विवेचन तनकी नम्बर 2 मे दिया गया है। अतः वादग्रस्त भूमि समर्पण के बाद के बाद बिलानाम दर्ज हुई जिसकी पृष्टी पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजो से होती है। वादीगण ने अपने वादपत्र एवं बहस मे यह कथन किया है कि वादीगण अनुसूचित जाति संवर्ग मे आते है जिस कारण उनकी कृषि भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 व 175 प्रभावी होने के कारण अनुसूचित जाति की जमीन उक्त वर्ग के अलावा अन्य वर्ग को किसी भी रूप में आवटंन नहीं हो सकती तथा हस्तान्तरण नहीं हो सकती है। तनकी नम्बर 2 के विवेचन से स्पष्ट है कि वाग्रस्त भूमि समर्पण से बिलानाम दर्ज हुई जिसकी पुष्टि स्वयं वादीगण द्वारा प्रदर्शित प्रदर्श 5 होती है। तनकी नम्बर 4 के विवेचन से स्पष्ट है स्वयं वादीया भूरी बाई न्यायालय मे हाजिर आकर उक्त समपर्ण का किसी प्रकार से विरोध नही किया है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित नही समझता है।

–::आदेश::–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का साबित नही पाये जाने से खारिज किया जाता है। माफिक निर्णय डिक्री पर्चा अलग से कायम किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 11/06/25 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(परमजीत आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर सलूम्बर
उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर, जिला सलूम्बर

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री परमजीत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या–03 / 2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर–2022 / 62

उनवान

1. श्रीमती भुरी बाई पति भीमा जी सालवी उम्र बालिग
2. श्री हीरालाल पिता खुमा जी सालवी उम्र बालिग
3. श्री किशोर पिता हीरालाल जी सालवी उम्र बालिग

सभी निवासी बान्दरवाडा देवली तहसील सलुम्बर जिला सलूम्बर।

–वादीगण

बनाम

1. श्री तख्तसिह पिता पर्वतसिंह राजपुत उम्र बालिग
2. श्री गमेरसिंह पिता पर्वतसिह राजपुत उम्र बालिग
3. श्री उदयसिह पिता पर्वतसिह राजपुत उम्र बालिग
4. श्री फतेहसिंह पिता पर्वतसिह राजपुत उम्र बालिग
5. श्री भवरसिह पिता पर्वतसिह राजपुत उम्र बालिग
6. श्री केशरसिंह पिता पर्वतसिह राजपुत उम्र बालिग

सभी निवासी बान्दरवाडा देवली तहसील सलुम्बर जिला सलूम्बर।

7. श्रीमान् जिला कलेक्टर हाल जिला सलूम्बर
8. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार त. सलुम्बर

–प्रतिवादीगण

वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनयम

दिनांकः– 11/06/25

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट के लिए दावा वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री राजकुमार जैन एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से एडवोकेट श्री गणेशलाल मेहता की उपस्थिति में न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता हैं किः– वादीगण का वाद साबित नही पाये जाने से खारिज किया जाता है।

इसके वाद के खर्चे पक्षकार अपना–अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 11/06/25 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

(परमजीत आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	02	–	शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	2	–
2. शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	02	–	अर्जी के लिए स्टाम्प	–	–
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	00	–	प्लीडर की फीस	–	–
4. रूपये पर लीडर की फीस	–	–	सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–	आदेशिका की तामील	–	–
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	05	–	कमिश्नर की फीस	–	–
7. आदेशिका की तामील	–	–		–	–
योग	09	–	योग	02	–

सहायक कलेक्टर सलूम्बर, जिला-सलूम्बर

उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर